International Conference on New Trends in Engineering, Science, Humanities and Management (ICNTESHM -2021)
28th November, 2021

CERTIFICATE NO : ICNTESHM/2021/C1121922

बालिकाओ के प्रति शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

THORAT KALPANA VIJAYKUMAR

Research Scholar, Department of Education,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore M.P., India.

सारांश

शिक्षा मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। इसे सभी मोर्चों पर राष्ट्रीय विकास के प्राथमिक साधन के रूप में पहचाना गया है। लड़कियों को शिक्षित करने से भारी सामाजिक और आर्थिक लाभ होता है। यह लड़कियों और महिलाओं के लिए उच्च आर्थिक लाभ लाता है, उनके विकल्पों को बढ़ाता है और नागरिक जीवन और समग्र निर्णय लेने में उनकी भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। बालिकाओं या महिलाओं की शिक्षा के विशाल लाभों को देखते हुए, भारतीय शिक्षा आयोग ने उनकी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) के अनुसार, आने वाले कुछ वर्षों के लिए महिलाओं की शिक्षा को शिक्षा में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में माना जाना चाहिए, और इसमें शामिल कठिनाइयों का सामना करने और मौजूदा अंतर को पाटने के लिए साहसिक और दृढ़ प्रयास किए जाने चाहिए। कम से कम समय में पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा। इसके लिए विशेष योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए और उनके लिए आवश्यक धनराशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राज्य और केंद्र स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की देखभाल के लिए विशेष तंत्र होना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा पर सभी स्तरों और सभी क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान देना भी आवश्यक है। महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना होगा। उनके अंशकालिक रोजगार के अवसरों को काफी हद तक बढ़ाना होगा। अध्यापन, नर्सिंग और समाज सेवा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की उपयोगी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा, उनके लिए कई नए रास्ते खोलने होंगे।